

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कंडिका 7.1 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)

परमिट संख्या:-.....13...../.....2017.....

दिनांक: 31.03.17

सेवा में,

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, पिता: स्व० भास्कर सिंह,
श्री पूरण चन्द्र सिंह, पिता: स्व० भास्कर सिंह,
पारडीह मेन रोड मानगो जमशेदपुर।
के पावर ऑफ एटर्नी धारक - श्री मुकेश पाण्डेय, पिता श्री राम देव पाण्डेय
क्लब रोड, (नियर सुजाता चौक) चुटिया, राँची।

महाशय,

प्लॉट संख्या:-93,94,95 खाता संख्या:-449 मौजा:- पारडीह, वार्ड न० 8 पर पूर्व में मानगो अ०क्षे०स० के परमिट संख्या 78 दिनांक 07.11.2013 की स्वीकृति के आलोक में पुनरीक्षित भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिए गये आवेदन के आलोक में Residential building-part Basement(Parking)+Ground Floor(parking + 1Nos. community hall-133.20 m²)+ 6th floor(Residential),Height 20.14 m, कुल - 120 अदद आवासीय इकाई and Commercial building-Ground floor(parking + 3 Nos shop)+ 1st and 2nd floor (Multi purpose hall)+ 3rd and 4th floor(8 nos guest room with toilet) Height- 14.30, के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड भवन निर्माण विभाग/भारतीय मानक/भारतीय भवन संहिता की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापतिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेवमेन्ट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ०क्षे०स० कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉथ/भूमि तल लिटल लेभल, छत लेभल प्रत्येक Floor पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्ता को अपार्टमेन्ट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी, झारखण्ड राँची के पत्रांक-671 दिनांक-06.04.2013 के द्वारा दिये गये निर्देश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Re:charging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50 प्रतिशत फ्लाइ एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ०क्षे०स० को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. झारखण्ड बिल्डिंग बाई लॉज - 2007 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ०क्षे०स० द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
16. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
17. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापतिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
18. विभागीय निर्देश के आलोक में वाणिज्य कर विभाग से TIN No. प्राप्त करना आवश्यक है। अतः तीन माह के अंदर TIN No. इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।
19. यह परमिट निर्माण हेतु निर्गत तिथि से मात्र तीन वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगी।

31.03.17
सहायक अभियंता,
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।

31.03.17
विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति